इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 346] भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 जुलाई 2011—आषाढ़ 29, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2011

क्र. 16798-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबन्धों के पालन में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 25 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 20 जुलाई, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २५ सन् २०११

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ११-ख का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) की धारा ११-ख में, उपधारा (१) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(क) जिसका नाम ग्राम के भू-अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में प्रविष्ट है या जिसने अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम, २००६ (२००७ का २) की धारा ३ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन वन अधिकार अर्जित कर लिए हैं;".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) की धारा ११-ख की उपधारा (१) के खण्ड (क) के उपबंध के अनुसार केवल ऐसा व्यक्ति जिसका नाम ग्राम भू-अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में प्रविष्ट है, मण्डी समिति के गठन में मत देने हेतु अर्हित है. ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को, जिन्होंने अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६ (२००७ का २) की धारा ३ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन वन अधिकार अर्जित कर लिए हों, समानता प्रदान करने और मंडी समिति के निर्वाचनों में मत देने का अधिकार उपलब्ध कराने की दृष्टि से मूल अधिनियम की धारा ११-ख में यथोचित संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १४ जुलाई, २०११

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 356] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई 2011—आषाढ़ 31, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2011

क्र. 3230-247-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 25 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 25 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH KRISHI UPAJ MANDI (DWITIYA SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2011.

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows :—

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2011.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 11-B.

2. In Section 11-B of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), in sub-section (1), for clause (a), the following clause shall be substituted namely :—

"(a) Whose name is entered as Bhumiswami in the village land records or who has acquired forest right under clause (a) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per the provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 11-B of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) only such person whose name is entered as Bhumiswami in the village land records is qualified to vote in the constitution of market committee. With a view to equate and provide the right of voting in the market committee elections to such Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers, who have acquired forest right under clause (a) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007), it is decided to make suitable amendment in Section 11-B of the principal Act.

2. Hence this Bill.

BHOPAL :
DATED the 14th July, 2011.

DR. RAMKRISHNA KUSMARIYA
Member-in-charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.